

राउर  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

13-5-23

पत्रावली राष्ट्रीय लोकसहायता कॅम्प माडल मे पेरा  
डुई, वकील प्राथीगण उपस्थित। विपक्षीगण के सम्मन  
बाद तामिल होकर जाकर हुए जिसे 2110 फा लिफे गये।  
वकील प्राथीगण का 970 फा स्वीकार किया जाकर लिफे  
धूपक से लिख्य जाकर 2110 फा किया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर जावर से कम हो।

**सादर**  
राज्य विधिक सेवा समिति  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
माण्डल - भीलवाड़ा

**अध्यक्ष**  
राज्य विधिक सेवा समिति  
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
माण्डल - भीलवाड़ा



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 20/23 प्र।०पत्र

1- श्रीमती आशा देवी D/o मदनलाल पं. शिवकुमार जोशी निवासी- भीलवाड़ा तहसील (कॉरा)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री कैलाश D/o लाला भील निवासी- मालीखेड़ा तहसील- माण्डल (कॉरा)  
(महसूकित- 97072/5/लॉग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 13.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का सुरारा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 125, 220, 289 कुल कित्ता 0.3 रकबा 0.9359 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आशाजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का सुरारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 125, 220, 289 कुल कित्ता 0.3 रकबा 0.9359 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा